सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी जिला – अजमेर (राज.)

राजस्व वाद संख्या – 206/2012

पीठासीन अधिकारीः– श्री नीरज कुमार मीना (आर.ए.एस.)

रामलाल पुत्र सुगना मीणा निवासी घटियाली तहसील केकड़ी हाल तहसील सावर जिला अजमेर राजस्थान

वादी

बनाम

1. राज सरकार जरिये तहसीलदार तहसील केकडी हाल तहसील सावर जिला अजमेर
2. रामप्रसाद पुत्र नन्दाराम मीणा निवासी घटियाली तहसील केकड़ी हाल तहसील सावर जिला अजमेर

प्रतिवादी

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88,89,188,209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय **दिनांकः– 10.5.18**

पत्रावली आज दिनांक केम्प कोर्ट न्याय आपके द्वार 2018 केम्प घटियाली में पेश हुई। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद का संक्षेप में विवरण निम्नानुसार है।

वादीगण ने जरिये अधिवक्ता एक वाद अन्तर्गत धारा 88,89,188,209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश कर निवेदन किया है कि वादी के वादग्रस्त भूमि वाके ग्राम घटियाली तहसील केकड़ी हाल तहसील सावर जिला अजमेर में स्थित जमाबन्दी संवत 2068 के खाता संख्या 01 में वर्णित भूमि आराजी खसरा नम्बर 755 रकबा 5.47 है. किस्म बीड एवं वर्किंग जमाबन्दी संवत 2041 में वर्णित आंशिक खाता संख्या 01 के खसरा नम्बर 426 मि. में से रकबा 3.1500 , रकबा 05.07.00, रकबा 00.06. 00, रकबा 00.18.00 नामा. स. 618 दिनांक 27.8.1984 पर सुगना पुत्र माधु मीणा गैर खातेदारी दी गई।उक्त वाद वर्णित आराजीयात में वादी के पिता सुगना पुत्र माधु मीणा निवासी घटियाली की गैर खातेदारी एंव कब्जे काश्त , आधिपत्य की है तथा वादी के पिता की मृत्यु हो चुकी है। वादी की गैर खातेदारी की आराजीयात जो वर्किग जमाबन्दी स.2041 में वादी के स्व. पिता सुगना पुत्र माधू के नाम दर्ज थी, को प्रतिवादी स. 1 व राजस्व अधिकारियों की गलती से वर्किग रिकॉर्ड के बाद बने नये राजस्व रिकॉर्ड आधार जमाबन्दी संवत 2058 व वर्तमान सं. 2065–68 में बिना किसी कारण के आदेश के ही आधार जमा.स. 2058 व वर्तमान जमा. स. 2065–68 में वादी के पिता सुगना पुत्र माधू की गैर खातेदारी से नाम विलोपित कर दिया। वर्किग जमाबन्दी में दर्ज खसरानम्बरान 426 मि. में वादी के पिता के स्थान पर बतौर वारिस गैर खातेदारी में दर्ज की जावें। प्रतिवादी स. 2 वादी को जबरन कब्जेकाश्त में बाधा उत्पन्न की लडाई झगडा किया । वादी की वाद वर्णित आराजीयात में वर्किग जमाबन्दी स. 2041 के खसरा नम्बर 426 मि. रकबा 3.1500 , खसरा नम्बर 426 मि. रकबा 05.07.00, खसरा नम्बर 426 मि. रकबा 00.06.00, खसरा नम्बर 426 मि. रकबा 00.18.00 कुल रकबा 10.06.00 बीघा का वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी स. 2065–2068 के खसरा नम्बर 755 रकबा 5.47 में से रकबा 10.06.00 यानि 1.67 है. आराजीयात का वादी को गैर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाने का निवेदन किया है। वाद स्वीकार फरमाया जावें।

वादी का दावा दर्ज मुकदमा रजिस्टर किया। प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता श्री गजेन्द्र गर्ग एडवोकेट ने पावर व जवाब पेश किया। पत्रावली में प्रतिवादी संख्या 1 से जवाब सरकार हेतु 12 बार मौके दिये गये। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से जवाब प्रस्तुत नही करने के कारण जवाब सरकार बन्द किया गया।

पत्रावली आज दिनांक को केम्प कोर्ट न्याय आपके द्वार केम्प घटियाली में पेश हुई। पत्रावली में जवाब सरकार पेश हुआ जिसे शामिल पत्रावली किया गया। जवाब सरकार अनुसार वादी की वर्किंग जमाबन्दी संवत 2041 में पिता सुगना पुत्र माधू के गैर खातेदारी दर्ज थी। सुगना के फोत हो जाने से वादी एकमात्र वारिस है। वर्किंग जमाबन्दी 2041 के खाता संख्या 1 में नामा. संख्या 618 दिनांक 27.08. 1984 से आराजीयात वादी के पिता सुगना की गैर खातेदारी में दर्ज है। जिस पर वर्तमान में वादी का ही कब्जा काश्त चला आ रहा है। वर्किंग जमाबन्दी संवत 2041 के अनुसार वादी के पिता सुगना पुत्र माधू के नाम दर्ज थी लेकिन भू–प्रबन्ध के बाद के रिकॉर्ड संवत 2058 व वर्तमान जमाबन्दी में वादी के पिता का नाम विलोपित हो गया है। वर्तमान खसरा नम्बर 755 रकबा 5.47 में वादी का कब्जा काश्त है। वादी के पिता के स्थान पर बतौर वारिस वादी का नाम गैर खातेदारी दर्ज किया जाना उचित है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया जवाब सरकार का अवलोकन किया। रिपोर्ट अनुसार ग्राम घटियाली के आराजी खसरा नम्बर 755 रकबा 5.47 है. किस्म बीड में से रकबा 0.64 है. प्रार्थी/वादी का ही कब्जा काश्त है,। एवं वर्किंग जमाबन्दी संवत 2041 के अनुसार वादी के पिता सुगना पुत्र माधू के नाम होने लेकिन भू–प्रबन्ध के बाद के रिकॉर्ड संवत 2058 व वर्तमान जमाबन्दी में वादी के पिता का नाम विलोपित हो जाने से पूर्व वर्किंग जमाबन्दी संवत 2041 के अनुसार वादी के पिता सुगना के वारिसान के नाम गैर खातेदारी दर्ज किया जाने की घोषणा की जाती है। अतःवादी का वाद स्वीकार किया जाता है। *पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।*

निर्णय आज दिनांक 10.5.2018 को पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया व मजमे आम में सुनाया गयां।

उपखण्ड अधिकारी
केकडी